पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 4738/अका./का.प./2009 रायपुर, दिनांक : 28 /03/2009

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक मंगलवार, दिनांक 03 मार्च, 2009 को पूर्वान्ह 11.00 बजे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :–

1.	डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. गौरीशंकर	–	सदस्य
3.	डॉ. आर.पी. दास	–	सदस्य
4.	डॉ. शैलेन्द्र सराफ	–	सदस्य
5.	डॉ. विभूति राय	–	सदस्य
6.	डॉ. शैलेन्द्र कुमार सिंह	–	सदस्य
7.	डॉ. शलभ कुमार तिवारी	–	सदस्य
8.	डॉ. एस.जे. केकरे	–	सदस्य
9.	डॉ. अंजनि कुमार शुक्ला	–	सदस्य
10.	डॉ. एस.के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
11.	डॉ. एस.के. मुखर्जी	–	सदस्य
12.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
13.	डॉ. इन्दु अनंत, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त

बैठक में कार्यपरिषद के सदस्यों द्वारा नव नियुक्त कुलपति प्रो. एस.के. पाण्डेय का कार्यपरिषद् के सदस्यों द्वारा स्वागत् किया गया। कार्यपरिषद् के नव नियुक्त सदस्यों प्रो. शैलेन्द्र सराफ, प्रो. बंशीलाल खण्डेलवाल, प्रो. एस.के. सिंह तथा प्रो. विभूति रॉय का भी स्वागत् किया गया।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गए :–

1. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 28.11.2008, आपात बैठक 5.12.2008, 19.12.2008 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान किये जाने पर विचार किया गया।

   निर्णय :-निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.11.2008 की सम्पुष्टि की गई। आपात बैठक दिनांक 05.12.2008 में लिये गये निर्णय के कार्यवृत्त में आंशिक संशोधन कर जोड़ा गया, चर्चानुसार निर्णय लिया गया कि पी–एच. डी. उपाधि का नोटिफिकेशन 03 दिवस के अंदर कर दिया जाय।

2. विश्वविद्यालय का वास्तविक आय–व्यय 2007–08 पुनरीक्षित आय–व्यय 2008–09 एवं प्रस्तावित आय–व्यय पत्रक 2009–10 के अनुमोदन पर विचार किया गया।

निर्णय :-निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय वित्त समिति की बैठक दिनांक 05.02.2008 की अनुशंसा को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

3. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 01.01.2009, 04.02.2009 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया गया।

निर्णय :-अनुमोदित।

4. 64 विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रय के लिये चंदा भेजने एवं भुगतान, कुल रूपये 15,27,176=80 + Bank Commission की Pro-forma Invoices के भुगतान के स्वीकृति पर विचार करने पर विचार किया गया।

निर्णय :-स्वीकृति प्रदान की गई।

5. ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 31.12.2008 के कार्यवृत्त पर विचार कर, अनुमोदन प्रदान करने पर विचार किया गया।

निर्णय :-अनुमोदित।

10. बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर को प्रदान की गई राशि रू. 01 करोड़ की सूचना ग्रहण करने पर विचार किया गया।

निर्णय :-सूचना ग्रहण किया गया।

11. वार्षिक परीक्षा 2008–09 के लिये क्रय किये गये कागज के भुगतान रू. 34,97,361/– का सूचना ग्रहण करने पर विचार किया गया।

निर्णय :-सूचना ग्रहण किया गया।

12. शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के नए जिम में ताराफ्लेक्स फ्लोरिंग कराये जाने के संबंध में रू. 2,40,000/– के स्थान पर रू. 24,00,000/– की स्वीकृति, सूचना ग्रहण करने पर विचार किया गया।

निर्णय :-स्वीकृति, सूचना ग्रहण किया गया।

15. एम.एस–सी. अंतिम भौतिकी, वार्षिक परीक्षा–2009 में सम्मिलित होने हेतु अर्चना साहू, आशा मेहर, शकुन्तला यादव के आवेदन पत्र दिनांक 05.11.2008 पर विचार किया गया।

निर्णय :-निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव, प्रावधानों के विपरीत है, अतः अनुमति नहीं दी जा सकती।

17. 108 Ph.D. शोधार्थियों की सूची के अनुमोदन पर विचार किया गया।

निर्णय :-अनुमोदित।

20. श्री एन.के. दयाल, उच्च वर्ग लिपिक, वर्ग–2 सेवानिवृत्त के निलम्बन अवधि को सेवाकाल मान्य किये जाने पर विचार करना।

निर्णय:-श्री एन.के. दयाल, उच्च वर्ग लिपिक वर्ग–2 सेवानिवृत्त के निलंबन अवधि को सेवाकाल मान्य करने का निर्णय लिया गया।

पूरक विषयसूची

9. वर्ष 2008–09 का रिजल्ट प्रोसेसिंग निविदा केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार किया गया।

निर्णय:-वर्ष 2008–09 का रिजल्ट प्रोसेसिंग निविदा, केन्द्रीय क्रय समिति की अनुशंसा पर निर्णय माननीय कुलपति जी एवं कुलसचिव स्तर पर लिये जाने का निर्णय लिया गया।

10. श्री रघुराज प्रसाद मिश्रा, वाहन चालक, सेवानिवृत्त, के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय:-श्री रघुराज प्रसाद मिश्रा, वाहन चालक, सेवानिवृत्त के प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गई प्रोफेसर अंजनी कुमार शुक्ला, अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय/ कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर इस प्रकरण पर अंतिम निर्णय के लिये अधिकृत किये गये।

द्वितीय पूरक विषयसूची

01. निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दिए गए विषय में **शोध केन्द्र** की मान्यता प्रदान करने पर विचार किया गया –

1. शासकीय जे. योगानन्दम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर – गणित
2. शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर – अंग्रेजी
3. शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर – समाजशास्त्र
4. शासकीय बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव स्नातकोत्तर महा., धमतरी – हिन्दी

निर्णय:-शोध केन्द्र मान्य किये गये।

04. मेडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का प्रतिनिधि नामांकित करने के संबंध में डॉ. दिपेश कुमार गुप्ता, के आवेदन पत्र दिनांक 27.02.2009 पर विचार किया गया।

निर्णय:-अनुमोदित।

05. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन 2007–08 विधान सभा पटल पर रखे जाने हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम– 1973 की धारा 15(4) स्वीकृति दी है – सूचना ग्रहण करने पर विचार किया गया।

निर्णय:-सूचना ग्रहण किया गया।

06. डॉ. एस.के. पांडेय, आचार्य एवं अध्यक्ष, भौतिकी अध्ययनशाला, को धारणाधिकार स्वीकृत करने के संबंध में विचार किया गया।

निर्णय:-स्वीकृत।

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की दिनांक 03.03.2009 की स्थगित बैठक शुक्रवार, दिनांक 13.03.2009 को पूर्वान्ह 11.00 बजे कुलपति कक्ष में पुनः आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये –

1.	डॉ. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. गौरीशंकर	–	सदस्य
3.	डॉ. आर.पी. दास	–	सदस्य
4.	डॉ. शैलेन्द्र सराफ	–	सदस्य
5.	डॉ. विभूति राय	–	सदस्य
6.	डॉ. शैलेन्द्र कुमार सिंह	–	सदस्य
7.	डॉ. शलभ कुमार तिवारी	–	सदस्य
8.	डॉ. एस.जे. केकरे	–	सदस्य
9.	डॉ. अंजनि कुमार शुक्ला	–	सदस्य
10.	डॉ. एस. के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
11.	डॉ. एस. के. मुखर्जी	–	सदस्य
12.	डॉ. जी. बी. गुप्ता	–	सदस्य
13.	डॉ. इन्दु अनंत, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

6. बी.बी.ए. प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण छात्रों को पंचम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति पर विचार किया गया।

निर्णय:-अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार ही परीक्षा सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया।

7. स्ववित्तीय पाठ्यक्रम Institute of Tourism Management में अंशकालीन अतिथि अध्यापकों के नियुक्ति एवं मानदेय के संबंध में विचार किया गया।

निर्णय:-विचार कर निर्णय लिया गया कि Institute of Tourism Management में जिन अंशकालीन अतिथि अध्यापकों से कार्य लिया गया है, उनके किये गये कार्य का भुगतान किया जाए एवं भविष्य में मान्यता प्राप्त संस्थानों से यथा, ए.आई.सी.टी.ई. या अन्य मानक इकाई से मापदण्ड प्राप्त कर लिये जायें। भविष्य में नीति निर्धारित किये जाकर ही अध्ययन/अध्यापन प्रारंभ किये जायें।

8. बी.एड्. वार्षिक परीक्षा 2008 –

क्रमांक	छात्र का नाम	रोल नम्बर
01	भक्त बंधु साहू	8908966
02	दशरथी साहू	8908973
03	मकरध्वज बेहरा	8908992

के परीक्षाफल निरस्त करने के संबंध में विचार किया गया।

निर्णय:-परीक्षाफल निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

9. रसायन अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. जे. एल. मूंदड़ा को बकाया नहीं प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में विचार किया गया।

<u>निर्णय</u>:-रसायन अध्ययनशाला के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. जे. एल. मूंदड़ा से टीप की तीनों बिन्दुओं पर जानकारी पत्र लिखकर पूछ लिया जाय। प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रशासनिक निर्णय लिया जाय।

13. सेठ सुगन चंद सुराना, महाविद्यालय, दुर्ग के पत्र दिनांक 30 अक्टूबर एवं 03 नवम्बर, 2008 पत्र पर विचार किया गया।

<u>निर्णय</u>:-परिनियम 28 का पालन सुनिश्चित किया जाय। 03 सदस्यी कमेटी अपना रिपोर्ट देगी।

14. विश्वविद्यालय द्वारा 2009 में आयोजित होने वाली **बी.पी.टी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष** के साथ–साथ **चतुर्थ वर्ष** की परीक्षा में सम्मिलित किये जाने की विशेष अनुमति के संबंध में विचार करना।

<u>निर्णय</u>:-पूर्व में संबंधित विभाग द्वारा निर्णय लिया जा चुका है, अतः एजेण्डा से विषय को विलोपित किया गया।

16. सेठ रतनचंद सुराना महाविद्यालय, दुर्ग में परिनियम–28 के अंतर्गत चयनित उम्मिद्वारों की नियुक्ति न किये जाने के संबंध में डॉ. जे.एल. भारद्वाज, संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रतिवेदन क्रमांक 2502/डी.सी.डी.सी. दिनांक 25.11.2008 पर विचार किया गया।

<u>निर्णय</u>:-पूर्व जांच रिपोर्ट को विलोपित करते हुए निम्नानुसार समिति गठित की जाती है–

1. प्रो. विभूति राय, 2. प्रो. आर.पी. दास, 3. प्रो. सतीश जनार्दन केकरे

गठित समिति अपना प्रतिवेदन 7 दिवस में कुलपति को सौंपेगी।

18. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की नियुक्ति, भत्ता स्वीकृति पर विचार करना।

<u>निर्णय</u>:-**D.S.W.** की नियुक्ति पत्र का विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार परीक्षण किया गया, यह पाया गया कि उनकी नियुक्ति अधिनियम की धारा–17 एवं परिनियम क्रमांक 4 के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है। अतः कार्यकाल समाप्ति का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. अधिनियम में अग्रिम आदेश तक नियुक्ति देने का प्रावधान नहीं है। यह निर्णय लिया गया कि **D.S.W.** की पुनः नियुक्ति नहीं की जाय। नये डी. एस. डब्ल्यू. की नियुक्ति हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया। कुलपति डी. एस. डब्ल्यू. की नियुक्ति कर आगामी कार्यपरिषद की बैठक में इसकी सूचना देगें।

19. डॉ. आर.एन. सक्सेना, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, प्राणी विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के किसी भी प्रकार के परीक्षा कार्य के आजीवन वंचित किया जाना, की गई कार्रवाई, की सूचना ग्रहण किया गया।

<u>निर्णय</u>:-चूंकि इस प्रकरण पर कार्यपरिषद् ने कोई निर्णय नहीं लिया अतः सूचना ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं उठता, एजेन्डा से विषय विलोपित की जाय।

21. अधिष्ठाता छात्र कल्याण के निवास के दूरभाष में इन्टरनेट बी.एस.एन.एल. ब्रॉडबैंड कनेक्शन की सुविधा देने के संबंध में विचार किया गया।

<u>निर्णय</u>:-निर्णय लिया गया कि दूरभाष में विश्वविद्यालय की निधि से Internet/Broad Band Connection की सुविधा निवास में प्रदान नहीं की जा सकती।

पूरक विषय–सूची

3. बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर द्वारा एम.एस–सी. / वानिकी एवं वन्य जीव / मानव विज्ञान एवं जनजातीय अध्ययन चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों के प्रोजेक्ट रिपोर्ट विलम्ब से प्राप्त होने के प्रकरण पर विचार किया गया।

निर्णय:–चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों के विलंब से प्राप्त प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जमा करने की स्वीकृति दी गई।

अध्यक्ष की अनुमति से

बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव पर निर्णय लिये गये –

01. प्रो. ए. आर. चन्द्राकर द्वारा कुलाधिसचिव पद से कुलपति को त्यागपत्र सौंपा जाना।

निर्णय:–कार्यपरिषद ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर सूचना ग्रहण की। कुलाधिसचिव के द्वारा किये गये कार्यों की कार्यपरिषद द्वारा सराहना की गई।

02. विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 14.02.2009 तथा 16.02.2009 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय:–नियमानुसार कार्यवाही मान्य की गई।

03. विश्वविद्यालय के नामांकन प्रकोष्ठ के रिकार्ड रूम में लगी आग के संबंध में जांच रिपोर्ट पर विचार।

निर्णय:–निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा थाने की गई रिपोर्ट पर कार्यवाही पश्चात् निर्णय की प्रतीक्षा कर निर्णयानुसार कार्यवाही किया जाना मान्य किया गया।

04. बी.पी.टी. अंतिम वर्ष के छात्र केशव कुमार देवांगन के प्रकरण पर जांच रिपोर्ट पर विचार।

निर्णय:–जांच रिपोर्ट के अनुसार छात्र द्वारा विश्वविद्यालय / केन्द्राध्यक्ष से परीक्षावधि समाप्ति पर कोई भी सुविधा नहीं चाही गई, इस तथ्य से कार्यपरिषद् को सूचित किया गया।

कुलपति (अध्यक्ष) | कुलसचिव (सचिव)

पृ.क्रमांक : 4739/अका. / का.प. / 2009 | रायपुर, दिनांक : 28 / 03 / 2009

प्रतिलिपि :

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर छत्तीसगढ़
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. समस्त विभागीय अधिकारी
4. जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र–कल्याण
5. वित्ताधिकारी / आवासीय अंकेक्षण
6. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहाय, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित।

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 8854/अका./का.प./2009 रायपुर, दिनांक : 19/01/2010

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक बुधवार, दिनांक 30.12.2009 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो.. बंशीलाल खण्डेलवाल	–	सदस्य
3.	प्रो. विभूति राय	–	सदस्य
4.	प्रो. एस.के. सिंह	–	सदस्य
5.	डॉ. शलभ कुमार तिवारी	–	सदस्य
6.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
7.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
8.	डॉ. एस.के. मुखर्जी	–	सदस्य
9.	डॉ. जी.बी. गुप्ता	–	सदस्य
10.	श्री अशोक लोहिया	–	सदस्य
11.	श्री महेश चंद्र शर्मा	–	सदस्य
12.	श्री देवजी भाई पटेल	–	सदस्य
13.	श्री रामजी भारती	–	सदस्य
14.	श्री कुलदीप सिंह जुनेजा	–	सदस्य
15.	डॉ. शिव कुमार डहरिया	–	सदस्य
16.	डॉ. इंदु अनंत, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गए :-

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 17.11.2009 एवं आपातिक बैठक दिनांक 14.12.2009 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 17.11.2009 एवं आपातिक बैठक दिनांक 14.12.2009 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान की गई।

2. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 05.12.2009 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक दिनांक 05.12.2009 कार्यवृत्त विषय क्रमांक 5 पर चर्चा हुई, निरीक्षण समिति (पूर्व निरीक्षित) ने किस आधार पर रिपोर्ट दी है, से जानकारी माँगी जाय। विषय क्रमांक 3 पर कल्याण महाविद्यालय से संबंधित सीट वृद्धि पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया कि माननीय न्यायालय के डबल बेंच के निर्णय की प्रतीक्षा की जाय।

3. छात्रा कु. उमा तिवारी, बी.काम. अंतिम वर्ष 2002 रोल नं. 33496 के परीक्षा परिणाम निरस्त किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि प्रकरण का पूर्ण परीक्षण करा कर, परीक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाए।

4. छत्तीसगढ़ संवाद के देयक क्रमांक 10846 दिनांक 16.09.2009 रूपये 5,35,751/– की स्वीकृति एवं भुगतान किये जाने पर विचार करना।

निर्णय : छत्तीसगढ़ संवाद के देयक क्रमांक 10846 दिनांक 16.09.2009 रूपये 5,35,751/– के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत्, वरिष्ठ वेतनमान रूपये 10,000–325–15,200 निम्नांकित शिक्षकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये तिथि से स्वीकृत करने पर विचार करना –

01. डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार, व्याख्याता वर्तमान में रीडर, प्रा.भा.इतिहास	–	28.03.2009
02. डॉ. (कु.) संस्कृति जोसेफ, व्याख्याता, प्रबंधन संस्थान	–	24.02.2009
03. डॉ. जी.के. देशमुख, व्याख्याता, प्रबंधन संस्थान	–	28.08.2009

निर्णय : अनुवीक्षण समिति की अनुशंसा मान्य की गई।

6. विश्वविद्यालय के निलम्बित सहायक यंत्री श्री बी.पी. भँवर के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : श्री बी.पी. भंवर सहायक यंत्री को निर्माण कार्यों एवं अपने अन्य दायित्वों को निर्वहन में अनियमितता का आरोप लगाकर निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित किया गया था। विभागीय जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 13.10.2009 में सर्वसम्मति से विचार उपरान्त अमान्य करते हुए पुनः विभागीय जांच कराने का निर्णय लिया गया था। कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 17.11.2009 में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त सुसंगत मूल दस्तावेज विश्वविद्यालय प्रशासन एकत्रित कर प्रस्तुत करे। आज की बैठक में कुलसचिव ने जानकारी दी कि समस्त दस्तावेज एकत्रित कर लिये गये हैं। उन्हें निर्देशित किया गया कि समस्त अभिलेख सुरक्षित रखे जायें। कार्यपरिषद् ने श्री भंवर के प्रकरण में निहित मुद्दों, तकनीकी पहलुओं को दृष्टिगत् रखते हुए सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि तकनीकी जांच सम्पन्न करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन को दायित्व सौंपा जाय। उच्च शिक्षा विभाग तकनीकी जांच पूर्ण कर 3 माह के अंदर, प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7. श्री मनोज कुमार दुबे, अधिवक्ता के शुल्क निर्धारण की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : सूचना ग्रहण की गई।

8. Coaching Classes for Entry in Service for Sc/St and minorities प्रारंभ करने की अनुमति/स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

9. कम्प्यूटर भवन विस्तार निर्माण चतुर्थ चल देयक रूपये 15,13,654/– के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : कम्प्यूटर भवन विस्तार निर्माण चतुर्थ चल देयक रूपये 15,13,654/– के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई।

10. क्रीड़ा समिति के निर्णय दिनांक 04.09.2009, दिनांक 09.09.2009, दिनांक 09.12.2009 एवं दिनांक 15.12.2009 के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय : क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 04.09.2009, दिनांक 09.09.2009, दिनांक 09.12.2009 एवं दिनांक 15.12.2009 को अनुमोदन प्रदान किया गया।

पूरक विषयसूची

1. मुख्य परीक्षा 2010 के लिये परीक्षा केन्द्र का अनुमोदन करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि मुख्य परीक्षा केन्द्र के साथ 2010 के लिये 8 नये परीक्षा केन्द्रों की स्वीकृति, के प्रस्ताव को मान्य किया गया।

2. छात्र अभिषेक कुमार सेमसन के आवेदन पत्र दिनांक 28.05.2009 पर विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर निर्णय लिया जाएगा। Dean की संस्तुति के संबंध में भी अनुशंसा किन नियमों के अंतर्गत कि गई है ? संबंधितों से जानकारी ली जाय।

3. Merged Scheme के तहत रूपये 90,000/– की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के लिये Merged Scheme के तहत रूपये 90,000/– की स्वीकृति प्रदान की गई।

4. शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी को अर्थशास्त्र विषय में शोध केन्द्र की मान्यता प्रदान करने विषयक प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय : शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी को अर्थशास्त्र विषय के लिये **"शोध केन्द्र"** मान्य किया गया।

5. डॉ. सुभाष चन्द्राकर, कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना के संबंध में दुर्गा महाविद्यालय से प्राप्त पत्र पृ. क्रमांक 12/02/09 दिनांक 24.11.2009 पर विचार करना।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि डॉ. सुभाष चन्द्राकर, कार्यक्रम समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को 1 वर्ष के लिये अथवा राज्य शासन द्वारा पद भरे जाने तक, जो भी पहले हो प्रतिनियुक्ति पर मान्य किया गया।

6. भवन निर्माण समिति के कार्यवृत्ता का अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 29.12.2009 की अनुशंसा को कार्यपरिषद् ने स्वीकृति प्रदान की। विश्वविद्यालय के बजट 2009–10 के पृष्ठ क्रमांक 13 जो 100 लाख का प्रावधान है एवं चारदीवारी निर्माण के लिये 50 लाख का प्रावधान को पुनर्निविनियोजन मरम्मत मद में किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की।

7. बजट में परीक्षा मद के लिये प्रावधानित राशि से गोपनीय मुद्रण हेतु रू. 15 लाख की राशि विनियोजित करने की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णय : बजट में परीक्षा मद के लिये प्रावधानित राशि से गोपनीय मुद्रण हेतु रू. 15 लाख की राशि विनियोजित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से

1. पी.–एच.डी./ डी.लिट्. शोधार्थियों की सूची दिनांक 07.01.2009 से दिनांक 29.12.2009 तक कुल 143 शोधार्थियों को पी.–एच–डी./डी.लिट्. उपाधि प्रदान की गई है। संकायवार जानकारी की सूची संलग्न है। माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि पी.–एच.डी./ डी.लिट्. शोधार्थियों की सूची (दिनांक 07.01.2009 से दिनांक 29.12.2009 तक) अनुमोदित की गई। कुल 143 शोधार्थियों को पी.–एच.डी. /डी.लिट्. उपाधि प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

2. प्रो. जी.एल. मूंदड़ा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पेंशन प्रकरण संबंधी जाँच समिति की रिपोर्ट पर विचार करना।

निर्णय : प्रो. जी.एल. मूंदड़ा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का पेंशन प्रकरण का निपटारा जांच समिति की अनुशंसा के अनुरूप किये जाने का निर्णय लिया गया।

3. 03 महाविद्यालयों में प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति का लिफाफा खोला गया और कार्यपरिषद् द्वारा निम्नानुसार महाविद्यालयों में नियुक्ति प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	नियुक्त प्राचार्य
1.	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा (राजिम), जिला–रायपुर	डॉ. (श्रीमती) शैल प्रभा कोष्टा
2.	पी.जी. कॉलेज आफ नर्सिंग, स्ट्रीट–5, हॉस्पीटल सेक्टर, भिलाई	श्रीमती अभिलेखा बिस्वाल
3.	जी.डी. रूंगटा कॉलेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी, कोहका, कुरूद रोड, भिलाई	डॉ. (श्रीमती) शोभा गावरी

अंत में प्रो. बंशीलाल खंडेलवाल की कार्यपरिषद् में सदस्यता समाप्ति पर उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर, विदाई दी गई एवं डॉ. खंडेलवाल के अमूल्य सुझावों के लिये उन्हें धन्यवाद दिया गया।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्र. : 8855 /अका./का.प./2009 रायपुर, दिनांक : 19 /01/2010

प्रतिलिपि :–

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. समस्त विभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विभाग से संबंधित निर्णयों का पालन प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करने का कृपया कष्ट करें।
4. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप कुलसचिव (अका.)